भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/17/2022/एफ0 सी0/1582 दिनांकः 16/02/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाढुंगी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। **(Online No. FP/UK/Road/146204/2021)**

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **1793/FP/UK/ ROAD/146204/2021 दिनांक 28-01-2023**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 25.11.2022 के उपरान्त जारी किये गये मिनट्स दिनांक 30.11.2022 के जवाब में प्रेषित मार्ग का औचित्य स्वीकार्य नहीं है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन उपरान्त यह पाया गया है कि उपरोक्त मौजूदा मार्ग से प्रस्तावित ग्राम की दूरी मात्र 150 मीटर है। परन्तु, यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम को मौजूदा मार्ग से जोड़ने हेतु 3 किमी के मार्ग के निर्माण की आवश्यकता क्यों है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थान प्रस्तावित संरेखण से जुडे हुए प्रतीत नहीं होते हैं।

साथ ही, प्रस्तावित मार्ग घने वन क्षेत्र से जा रहा है जो कि वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्राम के दूसरी (उत्तरी) ओर से पूर्व से ही एक मार्ग मौजूद है तथा यदि आवश्यक हो तो उस ओर से मार्ग को प्रस्तावित किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अभिलेख/दस्तावेज़/टीप इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

16/02/2023
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)